

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 273 / 2021

तारीख रजू 27.05.2021

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई०डी० नम्बर 2021/145

उनवान- बट्टी बनाम हीरालाल वगै०

उनवान

बट्टी पुत्र सुन्दर जाति जाटव निवासी राराशाहपुर तहसील सूरौठ जिला करौली

--वादीगण

बनाम

हीरालाल पुत्र हरमुख वगै० जाति गुर्जर निवासी नरसिंहपुरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

--प्रतिवादीगण 03

दिनांक	फर्द अहकाम
7.05.2021	<p>आज यह वाद पत्र वादीगण की ओर से श्री मुरारीलाल करसोलिया एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 17.06.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(सुरेश कुमार यादव ) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>
17/6/2021	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं० 1 व 2 की अलग अलग अर्जें। प्रतिवादी नं० 3 की अर्जें। वादी वकील आगामी हरीबल पेशी से पूर्व प्रतिवादी नं० 1 व 2 की हलकी देहु सही पत्रों के माध्यम से तलबना पेश करने देहु दि० 7-7-2021 को पेश करेंगे।</p>
7/7/2021	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील उपस्थित। वादी व वादी वकील ने अलग अलग अर्जें पेश कीं। वादी वकील ने अलग अलग अर्जें पेश कीं। अलग अलग अर्जें पेश कीं। अलग अलग अर्जें पेश कीं।</p> <p style="text-align: right;">अल! मु० नं० 273/2021 दावा बट्टी बनाम हीरालाल नीटप्रेस से अलग अलग किया जाता है। पत्रावली केवल सुमार देकर नम्बर से फम है।</p>

बट्टी  
Note  
पत्र  
दिनांक

